254
NG 12:35 PM

संख्याः 3292/XVIII(II)/2013–1(52)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 29 अक्टूबर, 2013

विषयः–सामाजिक संस्था अजीम प्रेम जी ट्रस्ट, बैंगलोर को जनपद देहरादून के ग्राम आमवाला तरला परगना परवादून में निःशुल्क मॉडल विद्यालय की स्थापना हेतु कुल 0.3334 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–1052/12–ए–90(2011–14) डी0एल0आर0सी0 दि0–02.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, सामाजिक संस्था अजीम प्रेग जी ट्रस्ट, बैंगलोर को जनपद देहरादून के ग्राम आमवाला तरला परगना पदवादून में निःशुल्क मॉडल विद्यालय की स्थापना हेतु कुल 0.3334 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तार प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं के अनुसार निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसकों राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (निःशुल्क मॉडल विद्यालय की स्थापना) के लिये

.....................2

करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता है अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– संस्था द्वारा प्रस्तावित भूमि का उपयोग मात्र निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर उक्त भूमि स्वतः राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

7– किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नही होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

8– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नही होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

9– योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियॉ प्राप्त कर ली जायेगी ।

10– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

.....3

11– प्रश्नगत प्रयोजन की पूर्ति के सम्बन्ध में विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के सम्बन्धित मानकों/शासनादेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12– इकाई द्वारा प्रस्तावित योजना के मानचित्र की स्वीकृति विधिवत् सम्बन्धित प्राधिकरण से करायी जानी आवश्यक होगी।

13– उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लघंन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से जारी किये जाने वाले कार्यालय आदेश की एक प्रति अनिवार्य रूप से शासन को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0-3292/ सम्दिनांकित 2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– श्री अनंत गंगोला, राज्य प्रमुख अजीम प्रेम जी फाउण्डेशन फॉर डेवलपमेन्ट, 26 बलबीर रोड़, देहरादून।
6– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– प्रभारी, मीडिया केन्द्र उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।